भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 159

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया गया

डी.एस.आई.बी. बैंक

159. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी.-एस.आई.बी.) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार और अधिक बैंकों को डी.-एस.आई.बी.श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसी बैंक को डी.एस.आई.बी. के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार बैंको से एकत्र किए गए आँकड़ों के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (डी-एसआईबी) के रूप में चिह्नित किया गया है।

इन बैंको को आरबीआई द्वारा डी-एसआईबी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है और उन्होंने डी-एसआईबी के संबंध में कार्रवाई करने के लिए दिनांक 22.07.2014 को एक संरचना जारी की है। आरबीआई ने सूचित किया है कि बैंको के प्रणालीगत महत्व के आकलन की प्रक्रिया दो चरणों वाली है। प्रथम चरण में बैंकों के नमूने को चिह्नित किया जाता है। उसके बाद उनके प्रणालीगत महत्व का परिकलन करने के लिए विस्तृत अध्ययन आरंभ किया जाता है। कई सूचकों जैसे आकार, परस्पर संपर्क, प्रतिस्थापन्नता और जटिलता के आधार पर नमूने में प्रत्येक बैंक के प्रणालीगत महत्व के कुल अंक को परिकलन किया जाता है। एक परिसीमा से ऊपर के प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंको को डी-एसआईबी के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है। प्रणालीगत महत्व के अंक का परिकलन प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में प्राप्त आँकड़े के आधार किया जाता है।

*****